संख्या 4336/ II–2005–03(08)/05

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।

सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 6 दिसम्बर, 2005

विषय : वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए आयोजनागत मदों में तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास के लिए धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0 3938/मु0अ0वि0 बजट/वी–1 दिनांक 14.10.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2005–06 में आयोजनागत मद राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से रू0 471.53 (रूपये चार करोड़ इक्हतर लाख तिरेपन हजार मात्र) जिसका विवरण संलग्नक में अंकित है को आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के बिरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

5– जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

6– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण – पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

क्रमशः.....2

7– कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9– त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उक्त त्रैमास में पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

10– धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के आयोजनागत मद के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित उपलेखा शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–79 (क)/XXVII(2)/2005 दिनांक 30 नवम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या 4336/II–2005–03(08)/05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, राज्य मंत्री, सिंचाई एवं ऊर्जा को मा0 मन्त्री जी के संज्ञानार्थ।
2– महालेखकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–2
4– श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट,अनुभाग, उत्तरॉचल शासन
5– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन
6– समस्त कोषाधिकारी/जिलाधिकारी उत्तरांचल।
7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

शासनादेश सं0–4336/ ।।–2005–03 (08)/05 दिनांक 6-12- ~~नवम्बर~~, 2005 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	परिव्यय प्राविधान	पूर्व में आवंटित	आवंटित धनराशि
1	2	3		5	
	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय				
	01–जमरानी बॉध				
	800–अन्य व्यय				
	02–अन्य रखरखाव व्यय				
	01–निर्माण कार्य				
1	24–बृहत् निर्माण कार्य	11.00	11.00	4.99	6.01
	4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय				
	052–मशीनरी तथा उपस्कर				
	03–नवीन सम्पूर्ति				
2	12–कार्या0फर्नीचर एवं उपकरण	5.50	5.50	2.70	–
3	26–मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	5.50	5.50	2.70	–
	80–सामान्य				
	003–प्रशिक्षण				
	03–निर्माण कार्य				
4	42–अन्य व्यय–00	28.00	28.00	13.99	14.01
	004–शोध कार्यक्रम का विस्तार				
	03–निर्माण कार्य				
5	42–अन्य व्यय	50.00	50.00	24.98	–
	005–सर्वेक्षण तथा अनुसंधान (किशाऊ बॉध सम्मिलित)				
	03–निर्माण कार्य				
6	42–अन्य व्यय	132.00	132.00	66.00	66.00
	006–परिकल्प एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का उच्चीकरण				
	03–निर्माण कार्य				
7	42–अन्य व्यय	55.00	55.00	27.49	27.51
	4711–बाढ़ नियंत्रणपरियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
	01–बाढ़ नियंत्रण				
	103–सिविल निर्माण कार्य				
	03–अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव				
8	24–बृहत् निर्माण–00	1837.00	1837.00	1479.00	358.00
	योग	***2124.00***	***2124.00***	***1621.85***	***471.53***

(रूपये चार करोड़ इक्हत्तर लाख तिरेपन हजार मात्र)

(महावीर सिंह चौहान)

अनु सचिव